THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) The doctor-patient ratio varies from Department to Department in a hospital and also from hospital to hospital in Delhi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

दिल्ली में "मानसिक आघात केन्द्र" की स्थापना

2144. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार घायल व्यक्तियों की तुरंत चिकित्सीय देखभाल करने के लिए एक "मानसिक आघात केन्द्र" की स्थापना करने का प्रस्ताव पिछले अनेक वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में इस प्रकार के असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, नहीं । केन्द्रीय दुर्घटना एवं अभिघात सेवाएं (सी ए टी एस) 1984 में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्लान स्कीम के रूप में अनुमोदित की गई थी । बहरहाल, बहु-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए यह स्कीम दिल्ली प्रशासन को स्थानांतरित करने का निणय लिया गया। इसके फलस्वरूप दिल्ली प्रशासन द्वारा, जून 1989 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा सोसाइटी (सी ए टी एस सोसाईटी) बनाई गई । इसके अन्तर्गत बहुत से कार्य किए गए हैं जैसे कि 14 सुसज्जित एम्बुलेंस गाड़ियों वाली एम्बुलेंस सेवाएं आरम्भ की गई हैं. शहर के विभिन्न भागों में अनेक अस्पतालों का चयन किया गया है जो केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवाओं के अधीनस्थ अस्पतालों के रूप में कार्य करते हैं । एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत एम्बुलेंस कार्मिकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया है ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता

2145. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता देने संबंधी पुरानी सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक उद्योग इस समय अपूर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने ऐसे उद्योगों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) समय-समय पर बढ़ाई गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971 को 1-10-1988 से बन्द कर दिया गया है । किन्तु राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को गैर विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 30-9-1989 तक तथा निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 31-12-1989 तक राजसहायता देते रहने की सलाह दी गयी थी, जबकि परियोजनाओं का राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा 30.9.88 से पूर्व अर्थात योजना की वैधता अवधि के भीतर अनुमोदन कर दिया गया हो । सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों के लिए एक नयी निवेश राजसहायता योजना आरंभ की जायेगी ।